कार्यालय जिला पंचायत, जिला– ग्वालियर

(पंचालत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन के अंतर्गत संचालित)

!! फूड जोन/आईसक्रीम पार्लर/कॉफी शॉप/स्नेक्स कार्नर हेतु निविदा प्रारूप एवं शर्तें !!

नव विकसित फूलबाग–बारादरी स्थल पर आने वाले सैलानी/पर्यटको को स्वादिश्ट खान पान, स्वल्पाहार उपलब्ध कराने के उदे य से ''फूड–कोर्ट'' स्थापित किये जाने हेतु स्थान निर्धारित किया गया है, जिनका विवरण नीचे तालिका में द ार्या गया है :–

फूडकोर्ट साईट	उपलब्ध क्षेत्रफल वर्गफुट में	विवरण	धरोहर राशि	न्यूनतम आफसेट राशि
1	2	3	4	5
साईट–ए	केन्टीन निर्माण हेतु 600वर्गफूट – खुला लॉन –1500वर्गफूट	सम्पूर्ण खान–पान व्यवस्था		
साईट–बी	बेजाताल गेट की तरफ 600 वर्गफूट	आईसक्रीम पार्लर/स्नेक कोर्नर		
साईट–सी	बेजाताल गेट की तरफ 300 वर्गफूट	कॉफी सेंटर		

टीप :– स्थल का मानचित्र जिसमें उपरोक्त स्थल अलग–अलग रंग में द ाये गये है, संलग्न है।

उपरोक्त दर्शाये स्थल/स्थलों पर फूडकोर्ट स्थापित कर संचालित करने हेतु इच्छुक निजी प्रतिश्ठित/ब्राण्डेड व्यवसाइयो, ऐजेन्सियों, संस्थाओ से स्थलवार सीलबंद ऑफर विज्ञप्ति दिनांक में दर्शाये अनुसार आमंत्रित किये गये है।।

01. प्रत्येक साईट के लिये पृथक–पृथक ऑफर प्रस्तुत करना होगा। एक व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी एक से अधिक साईट के लिये पृथक–पृथक ऑफर प्रस्तुत कर सकती हैं। एक साईट के लिये केवल एक ऑफर डाल सकेगा।

02. प्रत्येक ऑफरदाता को ऑफर आवेदन मय शर्तों के एक लिफाफे में सीलबन्द कर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर ''फूलबाग बारादरी पर फूडकोर्ट हेतु ऑफर'' एवं साईट क्रमांक एवं नाम का उल्लेख करना होगा, जिसके लिये ऑफर दिया जा रहा है। एक अन्य लिफाफे में निर्धारित धरोहर राशि, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत, ग्वालियर के पक्ष में देय होगी, का एफ.डी./एन.एस.सी. रख कर सील बन्द करना होगा। एक अन्य तीसरे लिफाफे में प्रस्तावित फूडकोर्ट का डिजाईन स्केच रखा जावेगा।उपरोक्त तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में बन्द करके प्रस्तुत किये जावेगें। बड़ा लिफाफा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर के नाम सम्बोधित होगा। बड़े लिफाफे के ऊपर बाई ओर ''''फूलबाग बारादरी पर फूडकोर्ट हेतु ऑफर '' एवं समूह क्रमांक एवं नाम तथा लिफाफे के ऊपर दाहिनी ओर विज्ञप्ति क्रमांक एवं दिनांक अंकित की जावे। ऑफर खोलने हेतु नियत दिनांक एवं समय पर सर्वप्रथम बड़ा लिफाफा खोला जावेगा, उसके बाद धरोहर राशि का लिफाफा खोला जावेगा । धरोहर

राशि उचित एवं सही पाये जाने पर डिजाईन सम्बन्धी लिफाफा एवं बाद में ऑफर सम्बन्धी मुख्य लिफाफा खोला जावेगा।

03. प्रस्तुत ऑफर में जिस ऑफरदाता का ऑफर अधिकतम होगा, के सम्बन्ध में सक्षम स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात उसके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया जावेगा। प्रतिश्ठित तथा ब्राण्डेड संस्थानों को प्राथमिकता दी जावेगी। इस संबंध में प्रतिश्ठित/ब्रान्डेड फर्म/कम्पनियों की फ्रेन्चाईजी या अधिकृत होने संबंधी दस्तावेज आफर के साथ प्रस्तुत करना होंगे।

04. ऑफर में किसी प्रकार की कॉट–छॉट/टीप/ ार्त अंकित किये जाने पर ऑफर मान्य नहीं किया जावेगा।

05. ऑफरदाता के लिये अनिवार्य होगा कि वह ऑफर के साथ अपना नाम, स्थाई पता, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं कार्य अनुभव के बारे में जानकारी देगा। हस्ताक्षरकर्ता को अपना नाम स्पश्ट रूप से अंकित करना होगा।

06. ऑफर आवेदन पर आफर रा‍ि ा (शब्दों एवं अंकों में) अंकित करना होगा

07. ऑफर स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,ग्वालियर को रहेगा तथा ऑफर अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया जावेगा। समान दर के एक से अधिक आफर आने पर आफरदाताओं के समक्ष पर्ची डालकर निर्णय किया जा सकेगा। ऑफर स्वीकृत होने के उपरान्त अधिकतम एक माह की अवधि में ऑफरदाता को अनुबन्ध निष्पादित करना होगा अन्यथा ऑफर निरस्त किया जाकर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

08. ऑफरदाता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था का न्यूनतम टर्न–ओवर रूपये........................ होना अनिवार्य है । इस हेतु चार्टेड अकाउन्टेन्ट से प्रमाणित वित्तीय प्रलेख प्रस्तुत करना होगा।

09. ऑफरदाता के पास आवश्यक संख्या में मैदानी कर्मचारी तथा सुपरवाईजरी कर्मचारी होना आवश्यक है। आफरदाता को स्वयं के फूडकोर्ट के संचालन के लिये न्यूनतम एक सुरक्षाकर्मी, एक माली तथा दो सफाईकर्मी रखना आव यक होगा।

10. स्वीकृत ऑफरदाता/अनुबन्धकर्ता अपने मैनेजर, सुपरवाईजर्स तथा कर्मचारियों की सूची मय फोटो तथा शैक्षणिक योग्यता, निवास स्थान तथा अन्य विवरण के साथ प्रस्तुत करेगा तथा जिला पंचायत, ग्वालियर के अनुमोदन उपरान्त ही इन्हें कार्य में लगा सकेगा। जिला पंचायत,ग्वालियर ऐसे कर्मचारियों को आईडेन्टी कार्ड जारी करेगा। जिला पंचायत, ग्वालियर जब चाहे जिस कर्मचारियों/कर्मचारी को बदलने के लिये कह सकेगा, जिसे मानना बंधनकारी होगा।

11. स्वीकृत आफरदता को अनुबंध में प्रस्तावित फूॅडकोर्ट में विक्रय की जाने वाली खा़द्य एवं पेय पदार्थ के ब्रांड एवं मेक व कम्पनी का उल्लेख करना होगा। गैर मानक पदार्थ विक्रय नही किये जा सकेगे।

12. अनुबन्ध करने से पूर्व स्थल पर प्रस्तावित फूड–कोर्ट की साज–सज्जा का डिजाइन पंजीकृत आर्केटेक्ट से तैयार कराकर प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम स्वीकृति उपरान्त स्थल पर साज–सज्जा एवं फर्नि िंग कराई जा सकेगी ।

13. विक्रय किये जाने वाले आईटम का रेट नि‍ि चत रहेगा तथा इसकी दर सूची अनुबंधकर्ता को जिला पंचायत को प्रस्तुत करनी होगी। दरों में परिवर्तन की स्थिति में इसकी पूर्व सूचना एवं दर बढ़ाने का कारण जिला पंचायत को लिखित में बताना होगा।

14. जिला पंचायत द्वारा अधिकृत कोई भी भाासकीय खाद्य निरीक्षक किसी भी समय फूडकोर्ट का निरीक्षण कर सकेगा तथा सेम्पल जांच हेतु प्राप्त कर सकेंगा। निरीक्षक की रिपोर्ट पर जिला पंचायत कार्यवााही का निर्णय ले सकेगी।

15. स्वीकृत ऑफरदाता को सम्बन्धित साईट के लिये निर्धारित राशि रूपये ..../— की बैंक गारण्टी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर के पक्ष में अनुबन्ध सम्पादित करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगी। अनुबन्ध तीन वर्ष के लिये किया जावेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर जिला पंचायत की अनुमति से अनुबन्ध की अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

16. सैलानियों एवं आम जनता के साथ किसी प्रकार की अशिष्ट व्यवहार की शिकायत होने पर सम्बन्धित के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

17. ऑफरदाता का Track Record अच्छा हो। वह किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभाग का डिफाल्टर न हो। उसके विरूद्ध किसी प्रकार के वित्तीय या आपराधिक मामले पंजीबद्ध न हो तथा किसी न्यायालय में प्रकरण प्रचलित न हो। ऑफरदाता का सभी सम्बन्धित शासकीय विभागों से Tax Clearance होना आवश्यक है। व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था का आयकर विभाग में जीवित PAN Card हो।

18. स्वीकृत ऑफरदाता को समय—समय पर नियमानुसार देय केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर भुगतान करने होगें।

19. निर्धारित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रति उल्लंघन रूपये 500/— अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल किया जावेगा।

20. राज्य शासन या माननीय न्यायालय के आदेश/निर्देश बंधनकारी रहेगें।

21. इस विषय पर किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालय विवाद का क्षेत्र ग्वालियर होगा।

<u>**नोट :—**</u> आफर की भार्तो पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर ऑफरदाता

ऑफर हेतु आवेदन

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,ग्वाालियर

विषयः फूलबाग बारादरी स्थल पर फूडकोर्ट स्थापित कर संचालन हेतु ऑफर

संदर्भ : जिला पंचायत, ग्वालियर की विज्ञप्ति क्रमांक ....ग्वालियर, दिनांक 00/04/2010

विषयान्तर्गत संदर्भित विज्ञप्ति के क्रम में मैं/हम निम्नानुसार समूज के लिये ऑफर प्रस्तुत करता हूँ/कर रहे हैं :–

स.क्र.	साईट क्रमांक	न्यूनतम आफसेट राशि	ऑफर राशि (लाखों में)
1	**2**	**3**	**4**
1	A		
2	B		
3	C		

मैंने/हमने, निगम की इस संबन्ध में शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति ऑफर पत्र के साथ संलग्न है, का भली–भॉति अध्ययन कर लिया है तथा मुझे/हमें सभी शर्तें मंजूर है ।

मेरा/संस्था के प्रोपराईटर का आयकर पेन कार्ड का क्र. .... है, जिसकी स्वयं हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है ।

ऑफर के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत, ग्वालियर, के पक्ष में निर्धारित राशि की एफ.डी./एन.एस.सी. संलग्न है, जिसका क्र. ...., दिनांक .... बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम .... है।

ऑफर प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता तथा दूरभाष क्र. (फर्म/संस्था होने की स्थिति में प्रोपराईटर/पार्टनर के नाम देवें)

——
——
——

कार्य का अनुभव, यदि कोई हो !
ब्रान्ड का नाम जिसका फ्रेन्चाईज या अधिकार पत्र प्राप्त है। दस्तावेज संलग्न करे।
संस्था का टर्न ओवर .... लाख है । (दस्तावेज संलग्न करें)

——
——

दिनांक : ....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ——————————————

पता ————————————————————————

दूरभाष/मोबाईल क्र. ——————————————